



केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम
KENDRIYA VIDYALAYA JYOTIPURAM
जिला रियासी(जम्मू व कश्मीर)/Distt - Reasi(J&K)-182312
पूरभाष/Telephone - 01991-255690(O), फैक्स /Fax - 01991-255691
वेबसाईट/Website - <https://jyotipuram.kvs.ac.in/>
ई-मेल/E-Mail - principalkvjyt@gmail.com



सूचना/Notice

दिनांक-23.04.2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कक्षा-प्रथम में प्रवेश प्रक्रिया में चयनित विद्यार्थियों कि सूची को विद्यालय कि वेबसाईट एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया गया है। चयनित विद्यार्थियों के अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश हेतु दिनांक 23.04.2024 से 28.04.2024 तक विद्यालय कार्य दिवसों में अभिभावकों को फोन कॉल के माध्यम से बुलाया जायेगा। अभिभावकों से अनुरोध है कि फोन कॉल के द्वारा सूचित निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के मध्य)

आवश्यक दस्तावेज/Necessary documents :

1. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ /passport size photograph
2. जन्म प्रमाण-पत्र/ Birth Certificate
3. माता/पिता का सेवा कालीन प्रमाण पत्र सम्बंधित कार्यालय के प्रमुख द्वारा जारी (यदि लागू हो)/ Service certificate of mother/father issued by the head of the concerned office (if applicable)
4. बच्चे का जाति-प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)/ Caste certificate of the child (if applicable)
5. मूल निवास दस्तावेज/residence proof document
6. रक्त समूह की जाँच जिसमे रक्त समूह दर्शाया गया हो/ Blood group test showing blood group.
7. आधार कार्ड/ Aadhaar Card
8. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) / Disability Certificate (if applicable)
9. अन्य/ Other :- बीपीएल राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) BPL Ration Card & Income Certificate (if applicable)

नोट/Note:-

1. प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि के बाद किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।/ No case will be considered after the last date of admission.
2. प्रवेश फॉर्म के साथ पंजीकरण फॉर्म एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज की सत्यापित प्रतियाँ जमा करना आवश्यक होगा।/ It will be necessary to submit attested copies of the registration form and other prescribed documents along with the admission form.
3. सभी आवेदकों को निवास का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। पते का प्रमाण वही होगा जो पंजीकरण फॉर्म में भरा गया था। आरटीई प्रवेश के लिए स्थानों और क्षेत्रों का दायरा 8 किमी होना चाहिए।/ Proof of residence shall have to be produced by all applicants. Address proof will be same as filled in registration form. For RTE admission Places and areas must be 8 km in Radius.
4. प्रवेश अस्थायी आधार पर होंगे और प्रदान किए गए सभी दस्तावेजों और सूचनाओं के सत्यापन के अधीन होंगे। यदि कोई गलत जानकारी मिलती है तो प्राचार्य को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है।/ Admissions will be on a provisional basis and subject to verification of all documents and information provided. If any incorrect information is found then the Principal has the right to cancel the admission.
5. किसी भी गलत प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य की ऐसी कार्रवाई के खिलाफ कोई अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।/ Admission secured on the basis of any wrong certificate shall be cancelled by the Principal forthwith and no appeal against such action of the Principal shall be entertained.

प्राचार्य/Principal
प्राचार्य/PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम
KENDRIYA VIDYALAYA JYOTIPURAM